संख्या–908 / छःना0सु0–10–2बजट / 09

प्रेषक,

जी0पी0वर्मा
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अनुसचिव
गृह(पुलिस)अनु–8(लेखा)
उ0प्र0 शासन।

गृह(नागरिक सुरक्षा)अनुभाग लखनऊः दिनांकः 17 अगस्त,2010

विषयः– अनुदान संख्या–27 के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–1–951 / दस–2010–231 / 2010 दिनांक 26 मार्च,2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक के अवशेषों के 40 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु रू0 5,00,000 / –(रूपये पांच लाख मात्र)की धनराशि स्वीकृत कर व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष 40 प्रतिशत के भुगतान हेतु उक्त धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2010–11 के माह अक्टूबर 2010 के पूर्व नही किया जायेगा।

2– उक्त स्वीकृत की गई धनराशि दिनांक 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 30 नवम्बर , 2008 तक के अवशेषों की 40 प्रतिशत पर ही व्यय की जायेगी।

3– मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता सम्बन्धी शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सी0ए01191 / दस–2009–मित0–1 / 2007 दिनांक 26 अक्टूबर 2009 का विशेष रूप से पालन किया जाये ताकि अपव्यय को रोका जा सकें।

4– विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित / वितरित धनराशि के समक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण क सम्बन्ध में शासनादेश संख्या –बी–1–1195 / दस–16 / 94 दिनांक 06 जून,1995 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम

प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा 88 में स्पष्ट किया गया है कि नियंत्रण अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी स्थिति हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय।निदेशक , नागरिक सुरक्षा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगें कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा शासन को बराबर इससे अवगत कराया जायेगा। यदि किसी विनियोग को प्राथमिक कडाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बडे अन्तर होने की सम्भावना मालूम पडे तो उसे तत्काल शासन को अवगत कराया जायेगा।

7– कृपया व्यय की सूचना अगले माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से वी0एम0–8 प्रपत्र पर शासन का उपलब्ध करा दें तथा अधीनस्थ कार्यालयों को वितरित की जाने वाली धनराशि तत्काल वितरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करके शासन को अवगत करायें।

8– उपर्युक्त पर होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2010–11के आय–व्यय के अनुदान संख्या–27 के लेखा शीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें –800 अन्य–03 अवशेषों का भुगतान –01 वेतन के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च ,2010 में निहित निर्देशों के अर्न्तगत किए जा रहे है।

भवदीय,

(जी0पी0वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 908(1)/छः ना0सु0/10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार (लेखा–हकदारी) प्रथम तथा द्वितीय,उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद।
2–महालेखाकार(लेखा–परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
3–कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
4–निदेशक, वित्तीय साख्यिकी निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
5 –वित्त(आय–व्ययक)अनुभाग–1/2 ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–12 ।
7– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0पी0सिंह)
अनु सचिव।